संख्याः 3164/XVIII(II)/2013-01(04)/2012

प्रेषक,

विजय कुमार ढौंडियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांकः 27 सितम्बर, 2013

विषयः-डॉ0 जगत नारायण सुभारती चैरिटेबल ट्रस्ट, देहरादून को ग्राम कोटड़ा सन्तूर एवं ग्राम कोल्हूपानी, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून में 20 एकड भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या-594/12 ए-28(2011-12)डी0एल0 आर0 सी0 दिनांक 22.10.2012, पत्र संख्या-27/डी0एल0आर0सी0-2013 दिनांक-11.02.2013 एवं पत्र संख्या-833/डी एल आर सी- 2013, दिनांक 20-9-2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, डॉ0 जगत नारायण सुभारती टेरिटेबल ट्रस्ट, देहरादून को ग्राम कोटड़ा सन्तूर एवं ग्राम कोल्हूपानी, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून में आपके उक्त पत्र दिनांक 22-10-2012, 11-2-2013 एवं 20-9-2013 द्वारा प्रस्तावित भूमि (खसरा संख्या-387 एवं 388 को छोड़कर) में से अधिकतम 20 एकड़ भूमि क्रय की अनुमति, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अनापत्ति एवं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 154 (2) एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950)(अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा-154(4)(3) (क)(I) के अन्तर्गत, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैंः-

1- रिट याचिका संख्या-33/2011 (पी.आई.एल.) परविन्दर सिंह बनाम राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 1-7-2013 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जिसके अंतर्गत मा0 उच्च न्यायालय द्वारा कृषि प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम आदेशों तक जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-143 के अंतर्गत भू उपयोग परिवर्तन निषिद्ध किया गया है। अतः अग्रिम आदेशों तक उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

2- ट्रस्ट द्वारा जिन खसरा संख्याओं के अंतर्गत भूमि क्रय की अनुमति चाही गयी है उनमें से खसरा संख्या-387 एवं 388 में बंजर, नदी, नयी परती के रूप में ग्राम समाज एवं राज्य सरकार की भूमि भी सम्मिलित है अतः उपरोक्त खसरा संख्याओं की भूमि क्रय की अनुमति अमुमन्य नहीं होगी।

3- मा0 सिवि[redacted]0डि0 द्वारा वाद संख्या-49/2012, 50/2012, 51/2012 तथा 52/ 2012 में पारित निर्णय से [redacted]दित भूमि का विक्रय अनुमन्य नहीं होगा।

4- यदि ट्रस्ट के सम्बन्धित मा0 न्यायालय में विचाराधीन वादों में कोई प्रतिकूल निर्णय इस क्रय अनुमति से सम्बन्धित भूमि पर होता है तो इस पर तद्नुसार निर्णय लिया जायेगा।

5- सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा नदी, नयी परती, बंजर आदि की भूमियों को चिन्हित/समुचित सीमांकन कर अलग रखा जायेगा व इसका अन्तरण या कब्जा न हो, इसे सुनिश्चित कर लिया जाय। केवल संक्रमणीय भूमिधरी (वर्ग-1क) की अविवादित एवं भार रहित भूमि क्रय की अनुमति अनुमन्य होगी।

6– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

7– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

8– प्रश्नगत अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

9– उपरोक्त किसी भी शर्तो/प्रतिबन्धों का उल्लघंन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी और धारा–167 के उपबंध प्रभावी हो जायेंगे।

कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तो के अनुपालन स्थिति से भी शासन को यथासमय अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विजय कुमार ढौंडियाल)
अपर सचिव।

पृ0प0सं0 3164/समदिनांकित/2013

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवशयक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– प्रमुख सचिव/सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6– डॉ0 जगत नारायण सुभारती चैरिटेबल ट्रस्ट, कोटड़ा सन्तूर, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून।
7– निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय,देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।